

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह म.प्र.

कं. २४ / एक-११-१/८५

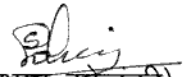
दमोह दि. ०३/०४/२६

::- विविध आदेश (समिति) :-

विविध आदेश कं. ०८/एक-११-१/८५ दमोह दिनांक
२१.०४.२०२६ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

०१. **समिति कं. ०१ (शिकायत निवारण समिति)** में कु. अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/जिला रजिस्ट्रार दमोह को विलोपित करते हुये जिला रजिस्ट्रार दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।
०२. **समिति कं. ०६ (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामान्य प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय ई-कोर्ट और कम्प्यूटर समिति)** में सदस्य कु. अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह का नाम विलोपित करते हुये सुश्री आज्ञा अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह, सदस्य श्री मनोहर पुरी गोस्वामी, सहायक ग्रेड-३ कम्प्यूटर अनुभाग दमोह का नाम विलोपित करते हुये श्री नीलेश पटेल, सहायक ग्रेड-३ कम्प्यूटर अनुभाग दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।
०३. **समिति कं. १३ (विविध कार्य एवं प्रयोजन समिति)** में सदस्य कु. अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह का नाम विलोपित करते हुये सुश्री आज्ञा अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।
०४. **समिति कं. १४ (स्थानांतरण समिति, लोकल/अंतर जिला)** में सदस्य कु. अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह का नाम विलोपित करते हुये श्री उत्कर्ष दिवाकर, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।
०५. **समिति कं. १५ (महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम २०१३ की धारा ४ अनुसार, महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यस्थल पर आंतरिक परिवार समिति)** में सदस्य कु. अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह का नाम विलोपित करते हुये श्रीमती दीर्घा एरन, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह, अधिवक्ता सदस्य श्री कमलेश भारद्वाज का नाम विलोपित करते हुये, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दमोह, समाजसेवी सदस्य डॉ. श्री सत्येन्द्र कुमार जैन दमोह का नाम विलोपित करते हुये, श्रीमती सीमा जाट, कर्मचारी सदस्य श्री दीपक सोनी के स्थान पर अध्यक्ष तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ दमोह एवं श्री विश्वनाथ बित्थरे के स्थान पर अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


(सुभाष सोलंकी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.

3682
पृष्ठाकंन कं. / एक-11-1/85
आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

दमोह दि. 03/08/26

01. समस्त न्यायालय/प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह/परिवार न्यायालय दमोह।
02. अध्यक्ष/सचिव समस्त अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. जेएसए दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह